रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 22 मई, 1976
ज्येष्ठ 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग-1

संख्या 348/1--6(23)-74-राजस्व-1
लखनऊ, 21 मई, 1976

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1,1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) की धारा 44 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली, बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976 कही जायगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

नियम 28, 29 और 30 का प्रतिस्थापन ।

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण नियमावली, 1961 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में स्तम्भ 1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
28--नियम 29 के अधीन रहते हुए राशि वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट) के रूप में विनिमय योग्य बंधों (निगोशियेबिल बांड) में दी जायगी जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत बंध कहा जायगा ।	28--जहां धारा 17 के अधीन देय राशि : (क) एक हजार रुपये से अधिक न हो वहां सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त नकदी में देय होगी, (ख) एक हजार रुपये से अधिक हो, वहां एक हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में देय होगी, और अतिशेष चार समान वार्षिक किस्तों में देय होगा : प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार बकाया राशि का पूर्ण भुगतान चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय कर सकती है।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नि
29–(1) यदि धारा 17 के अधीन किसी व्यक्ति को देय कुल राशि 1,000 रुपये से अधिक न हो तो कुल राशि, और यदि यह राशि 1,000 रुपये से अधिक हो जाय तो 1,000 रुपये की एकमुश्त नकद राशि का भुगतान किया जायगा ।	29––नियम 28 में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित दिनांक या दिनांकों पर देय हो जायगी:––
(2) उपनियम (1) में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त ऐसी समस्त राशि का भी जो बंधों के अन्तर्गत नहीं आती नकद भुगतान किया जायगा ।	(i) नियम 28 के खंड (क) निर्दिष्ट राशि की स्थिति में या उसके खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि के प्रथम किस्त की स्थिति में, या उस दिनांक जब धारा 14(8) के अधीन अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिया गया था, अनुवर्ती पहली अप्रैल को देय हो जायगी । (ii) जहां एक ही खातेदार की विभिन्न अतिरिक्त भूमि का कब्जा विभिन्न दिनांक को लिया गया हो वहां या ऐसे दिनांक में से, अंतिम दिनांक को अनुवर्ती पहली अप्रैल को देय हो जायगी । (iii) नियम 28 के खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि की द्वितीय या अनुक्षर्ती किसी प्रति वर्ष उस दिनांक से जब पूर्ववर्ती किस्त देय हो जाय, एक वर्ष की समाप्ति पर देय हो जायेगी ।
30––बंध 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के अंकित मूल्यों (denomination) के जारी किये जायेंगे और उन पर उस मूलधन के निमित्त, जो देय न हुआ हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा और यह ब्याज बेदखल होने के दिनांक से लगाया जायगा । मूलधन की किसी भी धनराशि पर उस दिनांक के बाद, जब उसका भुगतान दातव्य (due) हो गया हो, कोई ब्याज देय न होगा, भले ही उस व्यक्ति ने, जिसके पास बंध हो, उक्त धनराशि की वसूली न की हो ।	30–जहां किसी राशि या उसकी किसी किस्त का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से एक मास के भीतर न किया जाय वहां सम्बद्ध व्यक्ति बकाया राशि या उसकी किस्त पर, उसके देय होने के दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और भुगतान के दिनांक के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार हो जायगा ।

नियम 31 और 32 का निकाला जाना

3––उक्त नियमावली में, नियम 31 और 32 निकाल दिये जायेंगे ।

नियम 33 का प्रतिस्थापन

4––उक्त नियमावली में, स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा ।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
33–(1) किस्त, उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे कोषागार या उप-कोषागार में देय होगी जिस का नाम किस्त के भुगतान के लिए बंध पर अंकित किया गया हो ।	33–(1) नियम 28 में निर्दिष्ट राशि और वार्षिक किस्तें तहसील के ऐसे उप-कोषागार में देय होंगी जहां नियम 43 के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अ0जो0सी0 आकार पत्र 21 में वाउचर प्रस्तुत करने पर राशि का निर्धारण किया गया था ।
(2) यदि वह व्यक्ति जो राशि का हकदार हो, जिस तहसील में राशि का निर्धारण हुआ हो, उससे भिन्न तहसील के कोषागार या उप-कोषागार का नाम बंध में अंकित कराने का इच्छुक हो तो वह प्रस्तावित निर्धारण तालिका की प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र नियत प्राधिकारी को ऐसे कोषागार या उपकोषागार का नाम सूचित करेगा और कोषागार अधिकारी तद्नुसार बंधों के लिए मांग-पत्र भेजेगा ।	(2) यदि राशि का हकदार व्यक्ति उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उप-कोषागार से भिन्न अन्य उपकोषागार में भुगतान लेने का इच्छुक हो तो वह नियत प्राधिकारी को लिखित आवेदन करेगा और नियत प्राधिकारी उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह आवश्यक समझे ।

5—उक्त नियमावली में, नियम 35 से 40 और 42 निकाल दिये जायेंगे । नियम 35 से 40 और 42 का निकाला जाना

6— उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:— नियम 43 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
43—(1) नियत प्राधिकारी राशि के लिये हकदार व्यक्ति को अ0जो0सी0 आकार पत्र 20 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे यह निदेश दिया जायगा कि वह निर्दिष्ट दिनांक पर बंध ले लें और/या नकद भुगतान प्राप्त कर लें इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक को नियत प्राधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को यह उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता को बंध देगा और/या अ0जो0सी0 आकार पत्र 21 में वाउचर द्वारा नकदी में भुगतान करेगा, और प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर, वाउचर और/या अ0जो0सी0 आकार-पत्र 22 पर, जैसी भी दशा हो, करायेगा। अ0जो0सी0 आकार-पत्र 22 में प्राप्त रसीद खातेदार की फाइल के साथ नत्थी कर दी जायगी ।	43—(1) नियत प्राधिकारी धारा 17 के अधीन हकदार व्यक्ति को अ0जो0सी0 आकार पत्र 20 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे एक यह निदेश दिया जायगा कि वह, यथास्थिति, किसी कार्य दिवस या कार्य दिवसों में किस्तों का भुगतान प्राप्त कर ले । नियत प्राधिकारी उस दिनांक को, जब राशि के लिए हकदार व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो सम्बद्ध व्यक्ति को या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता को अ0जो0सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर द्वारा नकदी में भुगतान करेगा और वाउचर की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप वाउचर के प्रतिपर्ण पर प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर करायेगा । वाउचर का प्रतिपर्ण खातेदार की फाइल के साथ नत्थी कर दिया जायगा ।
(2) यदि नोटिस यथाविधि तामील की गई हो और सम्बद्ध व्यक्ति स्वयं या किसी यथावत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बंधों को उस दिनांक से, जिसके लिए नोटिस तामील की गई थी, तीन वर्ष समाप्त होने तक प्राप्त करने के लिए उपस्थित न हो, तो बन्ध, प्रतिकर अधिकारी से सूचना मिलने पर, कोषागार/उपकोषागार अधिकारी द्वारा, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 23 में अनुसूची सहित, लोक-ऋण कार्यालय को वापस कर दिये जायेंगे ।	(2) जब कभी सम्बद्ध व्यक्ति धारा 17 के अधीन देय राशि की प्रथम किस्त या कोई अनुवर्ती किस्त प्राप्त करने के लिए आये तब वह नियत प्राधिकारी के समक्ष अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में हर बार नोटिस प्रस्तुत करेगा, जो सम्बद्ध व्यक्ति को अ0जो0सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर देने के पश्चात् किस्त के भुगतान के संबंध में अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 पर एक टिप्पणी अभिलिखित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा ।
(3) यदि किसी बन्ध के प्रदान के निमित्त निश्चित दिनांक से तीन वर्ष तक उसके लिए कोई दावा न किया हो तो अ0जो0सी0 आकार पत्र 23 में अनुसूची तीन प्रतियों में तैयार की जायगी और दो प्रतियां उन बंधों सहित, जिन के संबंध में कोई दावा न किया गया हो (uncloimed) ऋण कार्यालय को भेजी जायगी, जो जांच (verification) करने के पश्चात् एक प्रति, जिस पर यथावत् प्राप्ति स्वीकृत की गई हो, कोषागार अधिकारी या उपकोषागार अधिकारी के पास वापस भेज देगा।	(3) जहां धारा 17 के अधीन राशि के भुगतान का देय दिनांक समाप्त हो गया हो और निर्धारण तालिका अंतिम हो गयी हो किन्तु उक्त राशि के हकदार व्यक्ति को अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में नोटिस प्राप्त न हुई हो, वहां वह राशि के भुगतान के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और तदुपरान्त नियत प्राधिकारी राशि के लिए हकदार व्यक्ति पर अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में नोटिस तामील करेगा और तदनुसार भुगतान करेगा ।
(4) जब उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन बंध लोक-ऋण कार्यालय को वापस किये जायं, तो इस बारे में एक प्रविष्टि अ0जो0सी0 आकार-पत्र 15 में रखे गये रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ (remarks column) में की जायगी और अ0जो0सी0 आकार-पत्र 14 में रखे गये रजिस्टर में बंधों की क्रम संख्या दर्ज की जायगी और उक्त रजिस्टर के स्तम्भ 26 में भी प्रविष्टियां की जायंगी । लोकऋण कार्यालय से प्राप्ति स्वीकृति (acknowledgement) मिल जाने पर अ0जो0सी0 आकार-पत्र 14 में रखे गये रजिस्टर के स्तम्भ 27 में भी प्रविष्टियां की जायंगी:	(4) नियत प्राधिकारी, यह समाधान होने पर कि मूल अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 खो गया है, या नष्ट हो गया है, उक्त प्रयोजन के लिए शपथ-पत्र के साथ आवेदन-पत्र दाखिल किये जाने पर उसकी दूसरी प्रतिलिपि जारी कर सकता है ।

नियम 44, 45 और 46 का निकाला जाना

7--उक्त नियमावली में नियम 44, 45 और 46 निकाल दिये जायेंगे ।

नियम 48 का प्रतिस्थापन

8--उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:--

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
48-(1) यदि राशि अवधारित कर दी गयी हो किन्तु वह व्यक्ति, जो उसे पाने का हकदार, हो, राशि दिये जाने के पूर्व ही मर जाय, तो नियत प्राधिकारी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।	48—(1) जहां उस व्यक्ति की, जो धारा 17 के अधीन देय धनराशि का हकदार है, राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाय, वहां नियत प्राधिकारी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा ।
(2) यदि राशि ऐसी हो जो नकदी में देय हो तो उसका भुगतान पूर्वोक्त रीति से अवधारित विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 21 में वाउचर द्वारा किया जायगा ।	(2) जब कभी सम्बद्ध विधिक प्रतिनिधि धारा 17 के अधीन उसे देय राशि की प्रथम किस्त या कोई अनुवर्ती किस्त प्राप्त करने के लिए आये तो वह हर बार नियत प्राधिकारी के समक्ष अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में नोटिस प्रस्तुत करेगा ।
(3) यदि राशि ऐसी हो जो बंधों में देय हो तो ये बंध विधिक प्रतिनिधियों के नाम से मंगाये जायेंगे और उन्हें दिये जायेंगे । किन्तु, यदि बंध विधिक प्रतिनिधियों का अवधारण होने के पूर्व मंगाये गये हों अथवा प्राप्त कर लिये गये हों तो वे प्रत्येक बंध के पृष्ठ पर निम्नलिखित रूप में एक अनुलेख करने के पश्चात् जिस पर यथावत् दिनांक और मुहर सहित नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, उक्त विधिक प्रतिनिधियों को दे दिये जायेंगे :-- कृपया श्री/सर्वश्री ----------को भुगतान कीजिये, जिन्हें उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 22(1) के प्रयोजन के लिए-------- के विविध वाद संख्या----------में राशि पाने के हकदार स्वर्गीय श्री---------का विधिक प्रतिनिधि अवधारित किया गया है । मुहर हस्ताक्षर ---------- तहसील ---------- जिला ---------- दिनांक ----------	(3) राशि की प्रथम और अनुवर्ती किस्तों का भुगतान उपर्युक्त के अनुसार अवधारित विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में अ0जो0सी0 आकार-पत्र 21 में तैयार किये गये वाउचर के माध्यम से किया जायगा ।
(4) नकदी में या बंधों में राशि पाने के प्रतीक स्वरूप यथास्थिति, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 21 या अ0जो0सी0 आकार-पत्र 22 पर विधिक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सदैव प्राप्त किये जायेंगे ।	(4) नकदी में राशि पाने के प्रतीक स्वरूप विधिक प्रतिनिधियों से अ0जो0सी0 आकार-पत्र 21 पर हस्ताक्षर सदैव कराये जायेंगे ।

9--उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-- नियम 52 का संशोधन

स्तम्भ-1	स्तम्भ 2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
52-(1) कोषागार अधिकारी/उप-कोषागार अधिकारी अ0जो0सी0 आकार पत्र 31 में भुगतान के प्रत्येक दिन प्रस्तुत किये गये और भुनाये गये ( ) वाउचरों का लेखा प्रतिकर अधिकारी को देगा और प्रतिकर अधिकारी उसके प्राप्त होने पर अ0जो0सी0 आगार पत्र 14 में रखे गये रजिस्टर के स्तम्भ 14 में प्रविष्टियां करेगा। अ0जो0सी0 आकार आकार पत्र 31 में दिया गया विवरण प्राप्ति के क्रम के अनुसार एक रक्षि-पुस्तिका में रखा जायगा। प्रतिकर अधिकारी प्रत्येक महीने के अन्त में अ0जो0सी0 आकार पत्र 32 में अपने जिले के कलेक्टर के पास एक विवरण (State-ment) भेजेगा, जो इस प्रकार प्राप्ति विवरणों को अ0जो0सी0 आकार पत्र 33 में दो प्रतियों में संहत (Consolidate) करेगा, जिसकी दोनों प्रतियां कोषागार अधिकारी के पास कोषा-गार के अभिलेखों से योगों (totals) की जांच करने के लिए भेजी जायगी। कोषागार अधिकारी आंकड़ों की जांच अपने रजिस्टरों से करेगा और जांची गयी धनराशि का उल्लेख विवरण की दोनों प्रतियों पर कर देगा, उन पर दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा और उन्हें कलेक्टर को वापस कर देगा। इसके बाद कलेक्टर एक प्रति राजस्व परिषद् के पास प्रत्येक महीने के 20वें दिनांक तक भेजेगा। यदि कोषागार के आंकड़ों और वैभागिक आंकड़ों में कोई अन्तर हुआ तो कलेक्टर तुरन्त इसकी जांच करायेगा और उसके परिणाम की सूचना राजस्व परिषद (Board of Revenue) को देगा।	52-(1) कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी अ0जो0सी0 आकार-पत्र 31 में भुगतान के प्रत्येक दिन प्रस्तुत किये गये और भुनाये गये वाउचरों का लेखा नियत प्राधिकारी को देगा और नियत प्राधिकारी उसके प्राप्त होने पर अ0जो0सी0 आकार-पत्र 12 को भरेगा अ0जो0सी0 आकार-पत्र 31 में दिया गया विवरण प्राप्ति के क्रम के अनुसार एक रक्षि पुस्तिका में रखा जायगा। नियत प्राधिकारी प्रत्येक महीने के अन्त में अ0जो0सी0 आकार-पत्र 32 में अपने जिले के कलेक्टर के पास एक विवरण भेजेगा, जो इस प्रकार प्राप्ति विवरणों को अ0जो0सी0 आकार-पत्र 33 में, दो प्रतियों में, संहत करेगा, जिसकी दोनों प्रतियां कोषागार अधिकारी के पास, कोषागार के अभिलेखों से योग की जांच करने के लिए भेजी जायंगी। कोषागार अधिकारी आंकड़ों की जांच अपने रजिस्टरों से करेगा और जांची गई राशि का उल्लेख विवरण की दोनों प्रतियों पर कर देगा, उन पर दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा और उन्हें कलेक्टर को वापस कर देगा इसके बाद कलेक्टर एक प्रति राजस्व परिषद् के पास प्रत्येक महीने के 20वें दिनांक तक भेजेगा। यदि कोषागार के आंकड़ों और वैभागिक आंकड़ों में कोई अन्तर हुआ तो कलेक्टर तुरन्त इसकी जांच करायेगा और उसके परिणाम की सूचना राजस्व परिषद को देगा।

10--उक्त नियमावली में, नियम 54 और 55 निकाल दिये जायेंगे। नियम 54 और 55 का निकाला जाना

11--उक्त नियमावली में, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 12 के स्थान पर निम्नलिखित अ0जो0सी0 आकार-पत्र रख दिया जायगा, अर्थात्:-- अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 12 का प्रतिस्थापन

अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या-12

(नियम 24 देखिये)

प्रस्तावित निर्धारण तालिका

खातेदार का नाम, पितृ नाम और पता----------

क्रम-सं0	जिला/तहसील	गांव	खाते का प्रकार	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (अ0जो0सी आकार पत्र सं0 11 का स्तम्भ 6)	स्तम्भ 5 में भूमि के सम्बन्ध में देय राशि (अ0जो0सी आकार पत्र संख्या 11 के भाग 1 का स्तम्भ 12 या भाग 2 का स्तम्भ 10 या भाग 3 का स्तम्भ 8)
1	2	3	4	5	6

असामी/शिकमी काश्तकार की दशा में

ऊपर उल्लिखित खातेदार को देय राशि	अध्यतीत अवधि	असामी/शिकमी काश्तकार को देय राशि	असामी/शिकमी काश्तकार का नाम, पितृनाम और पता
7	8	9	10

धारा 17 के अधीन अनुसूची के भाग 4 में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में अवधारित राशि

मालगुजारी की बकाया या अन्य देय राशि जैसा कि अ0जो0सी0 आकार पत्र संख्या 10 के स्तम्भ 5 तथा 8 या उसकी आयुक्ति के स्तम्भ में है।

मद का नाम	अवधारित राशि (जैसा कि अ0जो0सी0 आकार पत्र संख्या 9 के स्तम्भ 9 में है)	बकाया का प्रकार	बेदखल किये जाने के दिनांक को बकाया राशि
11	12	13	14

शुद्ध राशि का कुल योग, जो निम्नलिखित को देय हो

किस्तों का ब्यौरा जिनमें राशि देय होगी।

ऊपर उल्लिखित खातेदार को	असामी/शिकमी काश्तकार को	किस्त की संख्या	किस्त की राशि	किस्त के देय होने का दिनांक
15	16	17 (क)	17 (ख)	17 (ग)

अभ्युक्ति
18

टिप्पणी:— (1) इस प्रस्तावित तालिका की उतनी अतिरिक्त प्रतिलिपियां तैयार की जायेंगी जितनी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 11 के अधीन असामी हों, किन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अतिरिक्त प्रतिलिपि में इस प्रस्तावित तालिका से केवल ऐसी प्रविष्टियां ली जायंगी, जो उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में हो, जो उसके कब्जे में थी।

(2) अभ्युक्ति स्तम्भ में कुल देय राशि शब्दों में लिखी जायगी।

12--उक्त नियमावली में, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 14 के स्थान पर निम्नलिखित अ0जो0 सी0 आकार-पत्र रख दिया जायगा, अर्थात्:--

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 का प्रतिस्थापन

अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14

[नियम 52(1) देखिये]

खातेदारों तथा अन्य व्यक्तियों का रजिस्टर और धारा 17 के अधीन उन्हें देय राशि

तहसील ----------जिला----------

क्रम-सं0	गांव	राशि के लिये हकदार व्यक्ति का नाम, पितृ नाम और पता	धारा 20 या 21 जैसी भी दशा हो, के अधीन अवधारित अंतिम राशि		अवधारण का दिनांक	अंतिम राशि से वसूल होने योग्य बकाया	
			राशि			राशि	हस्तांतरण आंकलन लेखा सं0 और दिनांक
			रु0	पै0		रु0 पै0	
1	2	3	4		5	6	7

देय शुद्ध राशि			नियम 30 द्वारा संगणित देय	भुगतान के लिये देय कुल राशि		प्रत्येक किस्त के भुगतान के वाउचर का दिनांक और संख्या
किस्त की संख्या	किस्त के देय होने का दिनांक	किस्त की राशि	किस्त पर देय ब्याज यदि कोई हो	किस्त की संख्या	राशि	
8(क)	8(ख)	8(ग)	9	10(क)	10(ख)	11

कोषागार/उप कोषागार में वाउचर भुनाने का दिनांक	अभ्युक्ति
12	13

टिप्पणी:--(1) स्तम्भ 8 से 11 में प्रत्येक किस्त की प्रविष्टि पृथक्-पृथक् पंक्ति में की जायगी ।

(2) स्तम्भ 9 में ब्याज की गणना और स्तम्भ 10 में प्रविष्टि किस्त के भुगतान के दिनांक को की जायेगी ।

13--उक्त नियमावली में, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 15,16,17,18 और 19 निकाल दिये जायेंगे ।

अ0जो0 सी0 आकार-पत्र 15, 16,17,18 और 19 का निकाला जाना

14--उक्त नियमावली में, अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित आकार-पत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:--

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 20 और 21 का प्रतिस्थापन

अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20

[नियम 43 और 48(2) देखिये]

नियत प्राधिकारी के समक्ष

तहसील ----------जिला ----------

सेवा में,

(नाम, पितृ नाम और निवास स्थान)

चूंकि, उन क्षेत्रों में जिन पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 लागू होता है, स्थित समस्त अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन आपको देय शुद्ध राशि----------रुपये (शब्दों में) अवधारित की गयी है और उक्त राशि

आपको निम्नलिखित ब्योरा के अनुसार देय है । इसलिये एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप उन्हें प्राप्त करने के लिए, यथास्थिति, किसी कार्य दिवस या कार्य दिवसों में स्वयं उपस्थित हों या यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकर्ता को भेजें ।

धारा 17 के अधीन देय राशि का ब्योरा

किस्त की सं0	देय दिनांक	किस्तों की धनराशि रुपया	पसा	देय कुल राशि

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से आज दिनांक ----------को जारी किया गया ।

नियत प्राधिकारी ।

टिप्पणी:--यह नोटिस हर बार सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जायगी जब वह राशि की किस्त लेने के लिये आये ।

अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 21

[नियम 43(1) और 48 देखिये]

धारा 17 के अधीन देय राशि का भुगतान करने का वाउचर

पुस्तिका संख्या	बाउचर संख्या	पुस्तिका संख्या	वाउचर संख्या

दावेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान
तहसील--------जिला--------में
स्थित अतिरिक्त भूमि के संम्बद्ध में भुगतान की गयी राशि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 14 में रजिस्टर में क्रम संख्या----------।
रुपये की कुल राशि में से नकदी देय-----
रुपये की राशि जो, यथा स्थिति, प्रथम/द्वितीय तृतीय/चतुर्थ/पंचम किस्त है।
नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक----------197

शीर्षक जिसके अन्तर्गत व्यय दिखाया जायगा
भुगतान की गयी सूचियों की बाउचर संख्या

आज दिनांक---------को तहसील----
----------जिला--------में
स्थित भूमि के सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन मुझे देय कुल राशि---------रु0.----
(शब्दों में)----------
रुपया में से पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी/पांचवीं
किस्त के रूप में----------रुपया---
शब्दों म----------) की राशि
प्राप्त की।
दावेदार का नाम, पितृनाम तथा पता, दावेदार का
हस्ताक्षर और पता----------
अ0 जो0 सी0 आकार पत्र 14 में
क्रम संख्या----------
--------रुपये (शब्दों में)---------
रुपये के लिए अनुमोदित।
नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर----------
दिनांक----------197
रु0 (शब्दों में)----------रुपये का
----------नकद भुगतान किया जाय
सियाह नवीस के हस्ताक्षर----------
दिनांक----------197-----
तहसीलदार के हस्ताक्षर----------
दिनांक-------197--

वाउचर प्राप्त किया
प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक --------197--

कोषागार अधिकारी
या
उप कोषागार अधिकारी
के हस्ताक्षर--------
दिनांक------197--

टिप्पणी:-- यह वाउचर केवल सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में उसे जारी किये गये नोटिस को प्रस्तुत करने के पश्चात् ही तैयार किया जायगा । वाउचर पास कर दिये जाने के पश्चात् अ0जो0सी0 आकार-पत्र 20 में जारी किया गया नोटिस सम्बन्धित किस्त के लिये वाउचर जारी करने के सम्बन्ध में टिप्पणी अभिलिखित करने के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति को लौटा दिया जायगा ।

15—उक्त नियमावली में, अ0जो0सी0 आकार पत्र 22, 23, 24, 25 और 26 निकाल दिये जायेंगे।

अ0 जो0 सी0 आकार पत्र 22, 23, 24, 25 और 26 का निकाला जाना

16—उक्त नियमावली में, अंत में आये हुये परिशिष्ट को निकाल दिया जायगा।

परिशिष्ट का निकाला जाना

टिप्पणी:— जुलाई, 1973 तक यथा परिष्कृत और संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 पहले प्रकाशित की जा चुकी है। बाद में इस नियमावली का संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया:—

प्रथम संशोधन	..	अधिसूचना संख्या 11/11-3(2)-73-राजस्व-1, दिनांक 20 जुलाई, 1974।
द्वितीय संशोधन	..	अधिसूचना संख्या (2)/75-रा-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975।
तृतीय संशोधन	..	अधिसूचना संख्या 1127/रा-1-2(3)-75, दिनांक 18 जून, 1975।
चतुर्थ संशोधन	..	अधिसूचना संख्या 1(67)/75-रा-1, दिनांक 18 सितम्बर, 1975।
पंचम संशोधन	..	अधिसूचना संख्या 4411/(9)-75-रा-1, दिनांक 6 जनवरी, 1976।
षष्टम संशोधन	..	अधिसूचना संख्या 43/2-5(1)-76-रा-1, दिनांक 3 अप्रैल, 1976।